न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-243RAAJodhpur2024-134RTA225 Hasusingh ors Vs Kansingh etc

1. हसुसिंह पुत्र बालूसिंह
2. ओमसिंह पुत्र बालुसिंह
3. भंवरी पत्नी भवरसिंह
4. मदनसिंह पुत्र भवरसिंह
5. जसवन्तसिंह पुत्र भवरसिंह
6. राजूसिंह पुत्र भवरसिंह
7. मोतीसिंह पुत्र भंवरसिंह
8. जितू सिंह पुत्र नंवरसिंह

   सभी जातियान राजपुरोहित, निवासी ग्राम बाबा रामदेव नगर तहसील ओसिया जिला जोधपुर (राज)।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. कानसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
02. प्रेमसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
03. मोहनसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
04. राजौ पत्नी हरिसिंह
05. देवीसिंह पुत्र हरिसिंह
06. अनोपसिंह पुत्र हरिसिंह
07. जगदीशसिंह पुत्र हरिसिंह
08. सुगनों पत्नी जेठूसिंह
09. माधोसिंह पुत्र जेठूसिंह
10. रूघनाथसिंह पुत्र जेठूसिंह

    सभी जातियान राजपुरोहित निवासी ग्राम बाबा रामदेव नगर तहसील ओसिया जिला जोधपुर (राज)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसिया, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 06 मई 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 746/2020 कानसिंह व अन्य बनाम हसुसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से छः, आठ से दस
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 16 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 746/2020 कानसिंह व अन्य बनाम हसुसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 06 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 01 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से दस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1102 रकबा 31.08 बीघा, खसरा नंबर 1104 रकबा 9.0326 हैक्टेयर ग्राम बाबा रामदेव नगर तहसील औसियां में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1101 एवं 1106 में सें सलंग्न नजरी नक्षे अनुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा आदेष दिनांक 16 अगस्त 2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा आदेष दिनांक 08 मार्च 2023 के जरिये अपील आंषिक रूप से स्वीकार करते हुए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण अपीलाधीन आदेष दिनांक 06 मई 2024 के जरिये स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर व उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया गया था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में न तो अपीलांट्स को सम्मन जारी किये गये तथा न ही उनके अधिवक्ता को सूचित किया गया। खसरा न0 1104 के पास ही प्रत्यर्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नं0 1178/1095 आई हुई है जो कि रास्ते के लगती हुई भूमि है। जहां राजस्व रेकर्ड मे रास्ता खसरा नं0 1179/1095 के रूप में दर्ज है तथा मौके पर चलायमान हैं। ऐसी स्थिति में खसरा नं0 1104 के लिए कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है तथा वैकल्पिक रास्ता स्वयं की खातेदारी में उपलब्ध होने के कारण आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि खसरा नं० 1102 में से रास्ता घोषित किया जावे ताकि रास्ता चलायमान रह सके, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 1102 में से रास्ता घोषित किये जाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे भी साबित होता है कि रास्ता मात्र प्रत्यर्थीगण को फायदा पहुँचाने हेतु घोषित किया गया है। खसरा नं0 1101 में से दिया गया रास्ता उक्त खसरे के मध्य से दिया गया होने के कारण उक्त खसरा दो टुकड़ो में विभकत हो जाता है, जिससे अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि दो टुकडों में विभाजित होने से अनुपयोगी हो जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की चौड़ाई स्पष्ट की गई, किंतु लंबाई स्पष्ट नही करने से आदेष अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेष अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 06 मई 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा मामला प्रतिप्रेषित करते वक्त विचारण न्यायालय में पक्षकारान् के उपस्थित होने हेतु तारीख पेषी नियत की गई थी। अपीलांट्स उक्त तारीख पेषी को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए तथा न ही बाद में उपस्थित हुए। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार तलब मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता पाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द के आधार पर

विधिसम्मत आदेष पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोडेंट्स ने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा रास्ते की निरंतरता हेतु खसरा नंबर 1102 में से भी रास्ता घोषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 14 जनवरी 2024 के अवलोकन मुताबिक प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से दस के आवागमन हेतु डामर सड़क से रेस्पोडेंट्स के खेत खसरा नंबर 1104 तक रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प मार्क क,ख,च,ग,घ,ड़ तथा द्वितीय विकल्प ज,छ,ग,घ, ड़ बताया गया है। प्रथम विकल्प के रास्ते पर बड़ा रेत का टिला होने के कारण रास्ता दिया जाना संभव नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा द्वितीय विकल्प का रास्ता दिया गया है।

अपीलांट्स का उज्र है कि खसरा नंबर 1104 में आवागमन हेतु खसरा नंबर खसरा नंबर 1178/1095 की भूमि मे से रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में मौका फर्द के अवलोकन से प्रकट होता है कि ऐसा कोई रास्ते का विकल्प मौके पर उपलब्ध नहीं है। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 1102 में रास्ता घोषित नही किया गया है। इस संबंध में रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा भी खसरा नंबर 1102 में से रास्ता घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य ठहरता है। साथ ही रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु ,खसरा संख्या 1178/1095 में से निकटतम रास्ता बताये जाने से अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251—ए की मंषा के अनुरूप मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 746/2020 कानसिंह व अन्य बनाम हसुसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 06 मई 2024 यथावत रखा जाता है। साथ ही रास्ते की निरंतरता हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1102 में से मार्क ग,घ 4.6 मीटर चौड़ाई का रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार औसियां राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज कर नक्षा ट्रेस में तरमीम अंकित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर